संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

2798 / 30/12/15

9349 / 29-12-15

संजय कुमार

को यहाँ यह दिया है कि [illegible] संपत्ति के संबंध में कि गई अन्तरणकर्ता और अन्तरितों को अधिकरण प्रमाण [illegible] अधिनियम, [illegible] के अनुसार अवधारण दे।

[illegible] इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले अन्तरकर्ताओं और अवभारों के [illegible] यहाँ में और उसमें उल्लिखित [illegible] ता०.....2005.....19..... से To till date 19..... का उतारों को गयी और ऐसी जानकारी के बाद निम्न संक्रामकताएँ और अवभार का पता चला

विवरण

क्र० सं०	की संपत्ति का विवरण	निबंधन की तारीख	पु० उल्लेख का प्रकार और सं०	पक्षों के नाम				
				अन्तरक	अन्तरिती			

Mouza Name — Rajna, Khata No — 54, Khesra No — 15 (P), Area — 75 Decimal

Bakainput

P.o → 35

No → Plot No - 10

S → Plot No - 13, 15 (P) 16

E → Plot No - 12 to 15 (P)

W → Branch Road

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. संपत्ति पर की दिशा चतुष्क को कर और भूगतान की अवधि दर्ज कर। वर्णों को उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

4 यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): शैलेन्द्र कुमार

(पदनाम): L.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम): L.D.C

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 30-12-2015

अंचल निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया तो ही वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार अधिनियम। इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे। 30-12-15

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुज्ञप्तिधियों (एजेंसियां) को प्रवाहियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी नकलें प्राप्त लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अधिकारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर कार्य और अनुज्ञप्तिधियों उनके पास सामने रखनी जायेगी।

3. चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद ढूंढे गये संव्यवहारों और अवधारों को प्रमाण के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

हस्ताक्षर: निबंधक 30-12-2015

नाम एवं पता: 3193

दिनांक: 30-12-2015

पदनाम व मो.: 9431

यह निबंधन प्रमाण पत्र होगा: Budh Marg

दिए गए पत्र संख्या: दिनांक 28-12-2015 के क्रम में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

दानापुर

30/12/2015

SPL - 4,00,000

अपील 21 ... पटना उ० न्या०

संपत्ति-अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ... आवेदन सं० 10776 ... सन् 2015

चूंकि श्री Sanjay Kr. Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में यही है और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० ... 1982 ... से ता० 2004 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला ... बाकाश मूल

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और पृष्ठ्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की अभिवृद्धि के म० चिह्न		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza →		Babakarkar					
	P-S →		Janapur					
	P-S/2 →		35					
	Khata/2 →		54					
	Plot/2 →		15 (e)					
	Area →		25 decimal					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज की।
2. संपत्ति-पत्र की दिशा व्याज की चार और पुनरावृत्ति की अवधि दर्ज की। मामले की उसके साथ से संबंध हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज की।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों के छेड़छाड़ संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी का प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलाशी का सत्यापन और [illegible] को जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: patna,

तारीख: 30/12/15

30/12/15

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं [illegible] प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विभाग रेकर जिन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्धारित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (व्यक्तिकलापों) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निर्धारित अधिनियम की धारा-55 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुबंधितियां (एजेंसी) की प्रतिलिपि देखना चाहते हों उन्हें उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो वे तलाशी स्वयं करनी होगी। निर्धारित समय तक उपलब्ध करवें जो चाहिये और अनुबंधितियां उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी के तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दर्ज किये गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दर्ज किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की चूक के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे इस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक 10985

शुल्क संख्या

आवेदक श्री Sanjay Kr. Singh दिनांक 30/12/15

का अनुरोध प्रमाण-पत्र हेतु Manager C-B-L Budh marg Branch patna.

का उनके पत्र संख्या दिनांक 28/12/15 के संदर्भ में आपूर्तित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
30/12/15
patna.

SPC 46/2010 2,00,000

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

2729
30/12/15

9350

29-12-2015

साधन के भार दिये

अनुसूची दिनांक [illegible] के संबंध में निम्नांकित संपत्तियों और अवभारों का संक्षिप्त प्रमाण पत्र [illegible] आवेदन में दिये गये [illegible] अनुसार निम्नानुसार है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों और अवभारों के भार से मुक्ति में और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में तारीख 2015 19 से [illegible] till date [illegible] की मुक्ति और ऐसी तारीख के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

अथवा है अतः: मुक्त

क्रम संख्या	निष्पादन की तारीख	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण और साल	पक्षों के नाम		रजिस्ट्रीकरण की परिवेदि के उ० निर्देश		
			निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	3	4	5				
मौ ना Balua Rampur P.S→ 35	तीनी 5059	रजिस्ट्री 54	रेकर्ड	Affer	15 (P)	2 1/4 Katha + 1 3/4 Katha = 4 Kath	

No → Plot No - 15 (P)
So → Plot No - 15 (Bangali
E → Plot No - 14 & 13
W → Ram Bahadur Rai

N - Plot No - 14
S → Plot No - 15 (Bangali Rai)
E → Main Road (K Agarwal)
W → Plot No - 15 (Lal Bahadur Rai)

1. दस्तावेज सं. अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. संबंधित पक्ष की निजी पहचान की पुष्टि और पहचान की अतिरिक्त दर्ज करें। यदि दस्तावेज में उल्लेख हो।
3. पहले की दशा में कब्जा की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित और अनुसूची को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य दस्तावेज होने का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

हस्ताक्षर: जितेन्द्र कुमार

(पदनाम)

(नाम) ... (पिता/पति का नाम) ... (आयु) ... निम्न व्यक्ति से मिले

पता:

दानापुर

तिथि: 30-12-2014

अंचल निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

दिनांक 30/12/2014 तक उक्त संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की खोज की गई है। खोज के दौरान प्राप्त दस्तावेजों का विवरण इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

निबंधन कार्यालय की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति (बाहरी) और अनुकूलताओं (डाक्टेक्स) की प्रमाणपत्र ... खोज के दौरान प्राप्त दस्तावेजों की सूची ... में निर्दिष्ट संपत्तियों के दस्तावेजों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उसे तलासी स्वयं करनी होगी ... और प्रमाण पत्रों की जरूरत होने पर स्वयं करनी होगी।

✓ ... कुछ खरीदार मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसीलिये कार्यालय अपेक्षित दस्तावेज ... प्रमाण पत्र में शामिल नहीं करता।

✓ ... कुछ मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद कुछ नये दस्तावेज ... दस्तावेजों की खोज के बाद ... में दिए गए, जिसे उक्त विवरण ... किये गये ऐसे दस्तावेजों और अभिलेखों को छूट के लिए ... उक्त विवरण में ऐसा विवरण उक्त ... पर ध्यान नहीं दिया।

हस्ताक्षर ... दिनांक 21/12/14

नाम सहायक 3194 दिनांक 30/12/2014

पद सहायक

का प्रमाण पत्र लिया ... दिनांक 28/12/14 के प्रसंग में आवश्यकता की ... ने।

निबंधन पदाधिकारी,
21/12/14
30/12/14

SBI ... 3,00,000

अनुसूची 21 [नियम 66 (1)]

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या अभिदेश संख्या वर्ष

चूंकि श्री Sanjay Kr. Singh 10225

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वसित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में मेरी में और उससे सम्बद्ध अनुकूमणियों में ता० 1982 से ता० 2004 तक तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चलता है अत

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज जहां अभिलिखित है उसका निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza P.S P.S.N.L Thana No. Khata No. Plot No. Area		Babarpur Bhagalpur 35 5059 54 15 (D) 4 Kathas.					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। शर्तें भी उसके भाग में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों के छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी का प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र पर आज निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर): Ashik Kapoor

(पदनाम):

कार्यालय: patna

तारीख: 30/12/15

30/12/15

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विलेख केवल किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्णीत दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (जैसे कलमात) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निर्णीत अभिलिपियों की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (चाहकों) और अनुदत्तग्राही (रिहनदार) की प्रतिलिपि देखना चाहते हों उनको प्रतिलिपि देखने चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। निर्णीत बहियों का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुदत्तग्राहियाँ उनके पास सामने रख दी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दिये गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की चूक के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक 10984

लाग संख्या दिनांक 30/12/15

आवेदक श्री Sanjay Kr. Singh

का सत्यापित प्रमाण-पत्र हाल manager C-8-E Sruti marg Anand patna.

का उनके पत्र संख्या दिनांक 28/12/15 के साथ में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

30/12/15

patna.

STL 40/07 2,00,000